मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १९ सन् २०२५

मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०२५

विषय - सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

२. धारा २ का संशोधन.

३. धारा ६ का स्थापन.

४. धारा ७ का स्थापन.

५. धारा ८ का स्थापन.

६. धारा ४१ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १९ सन् २०२५

मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०२५

मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, १९५८ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२५ है. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(२) यह "मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, १९५८ (क्रमांक २५ सन् १९५८) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में,- धारा २ का संशोधन.

(एक) खण्ड (१) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(१क) "केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन निरीक्षण के निर्धारण, आवंटन, संचालन और निगरानी हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत प्लेटफार्म;''.

(दो) खण्ड (१९) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(१९क) "पोर्टल'' से अमभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य के श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित ऑनलाइन वेबसाइट;''.

(तीन) खण्ड (२०) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(२०) "स्थापना पंजी'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन जारी पोर्टल जनित प्रमाण-पत्रों का संकलन;''.

(चार) खण्ड (२१) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(२१) "पंजीयन प्रमाण-पत्र'' से अभिप्रेत है, पोर्टल द्वारा जनित डिजिटल प्रमाण-पत्र;''.

३. मूल अधिनियम की धारा ६ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:- धारा ६ का स्थापन.

"६. (१) प्रत्येक स्थापना का, जिस पर यह अधिनियम लागू होता हो, इस धारा के उपबंधों के अनुसार पंजीयन किया जाएगा. स्थापनाओं का पंजीयन.

(२) इस अधिनियम के किसी स्थापना पर लागू होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर उसका नियोजक पोर्टल पर ऐसी फीस के साथ जैसी कि विहित की जाए, विहित प्ररुप में आवेदन करेगा, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे,-

(क) नियोजक, प्रबंधक तथा प्रबंध संबंधी पद धारण करने वाले व्यक्ति का, यदि कोई हो, नाम;

(ख) स्थापना का डाक का पता और स्थापना द्वारा कारोबार प्रारम्भ किये जाने की दिनांक;

(ग) स्थापना का नाम, यदि कोई हो;

(घ) स्थापना का प्रवर्ग, अर्थात् क्या वह दुकान, वाणिज्य स्थापना, निवास युक्त होटल, उपाहार-गृह, भोजन-गृह, नाट्य शाला अथवा सार्वजनिक आमोद या मनोरंजन का अन्य स्थान है; और

(ङ.) ऐसे अन्य ब्यौरे जो विहित किए जाएं.

(३) ऑनलाइन विहित जानकारी और फीस के प्राप्त होने पर, पोर्टल द्वारा पंजीयन प्रमाण-पत्र विहित प्ररुप में स्वत: जनित होगा. पंजीयन प्रमाण-पत्र स्थापना पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा.

(४) पंजीयन फीस नियमों में यथा-विहित अनुसार होगी किन्तु प्रति स्थापना दो हजार पांच सौ रुपए से अधिक नहीं होगी.''.

धारा ७ का स्थापन.

४. मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

पोर्टल में अद्यतन किए जाने वाला परिवर्तन.

"७. नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह धारा ६ के अधीन अपने विवरण में अंतर्विष्ट किसी भी जानकारी के संबंध में कोई भी परिवर्तन, पोर्टल पर परिवर्तन होने के सात दिन के भीतर विहित प्ररुप में अद्यतन करें. अद्यतन होने पर, पोर्टल द्वारा स्थापनाओं की पंजी में परिवर्तन किया जायेगा और संशोधित पंजीयन प्रमाण-पत्र या यदि आवश्यक हो तो एक नवीन पंजीयन प्रमाण-पत्र जनित करेगा.''.

धारा ८ का स्थापन.

५. मूल अधिनियम की धारा ८ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

स्थापना के बंद होने को पोर्टल में अद्यतन किया जाना.

"८. नियोजक अपनी स्थापना बंद होने के दस दिन के भीतर ऐसी स्थापनाओं के बंद होने को पोर्टल पर अद्यतन करेगा. अद्यतन होने पर, ऐसी स्थापनाओं को स्थापना की पंजी से पोर्टल द्वारा हटाया जाएगा और पोर्टल जनित पंजीयन प्रमाण-पत्र निरस्त किया जायेगा.''.

धारा ४१ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ४१ में,-

(एक) उपधारा (१) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(क) समस्त उचित समयों पर तथा ऐसे सहायकों सहित, यदि कोई हो जो शासन अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण की सेवा में हों, जैसा कि वह उचित समझे, किसी भी स्थान में जो स्थापना हो या जिसके संबध में उसे यह विश्वास होने का कारण हो कि वह स्थापना, केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली द्वारा आवंटित है, प्रवेश कर सकेगा;''.

(दो) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

"(३) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी निरीक्षक, श्रम आयुक्त या उसके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किसी अधिकारी की अनुज्ञा के सिवाय किसी ऐसी स्थापना में अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा जहां कि बीस से अनधिक कर्मचारी नियोजित हैं.''.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

आधुनिक आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तित होती अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के साथ गति को बनाए रखने हेतु मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, १९५८ (क्रमांक २५ सन् १९५८) के सुसंगत उपबंधों में संशोधन प्रस्तावित किया जाना आवश्यक है. सरकार, स्वत: प्रमाणन के आधार पर पोर्टल जनित डिजिटल पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया अपनाकर और दुकान तथा स्थापना के स्वामियों के पंजीयन की प्रक्रिया को सरल बनाकर एवं २० से कम कर्मचारियों को नियोजित करने वाले संस्थानों को बिना श्रमायुक्त की अनुमति के निरीक्षण कार्यवाही को समाप्त करके विधिक रूप से सरल बनाना चाहती है.

२. प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य उपयुक्त उपबंध बनाए जाना है जो वैश्विक कार्य परिवेश में कर्मचारियों के कल्याण तथा प्रतिस्पर्धा पर बल देते हुए, अनुपालन का भार संबंधी विषय को और लचीला बनाता हो. अतएव, मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, १९५८ की धारा २, ६, ७, ८, और ४१ में यथोचित् संशोधन प्रस्तावित है.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : २५ नवम्बर, २०२५.

प्रहलाद सिंह पटेल
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना विधेयक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०२५ के जिन खण्डों द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन राज्य सरकार को किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है:-

खण्ड-३ द्वारा स्थापनाओं के पंजीयन के संबंध में आवेदन किए जाने हेतु शुल्क, अन्य ब्यौरे तथा पंजीयन प्रमाण-पत्र के निर्धारण; तथा

खण्ड-४ द्वारा पोर्टल में अद्यतन किए जाने वाले परिवर्तन संबंधी प्ररुप विहित किये जाने;

के संबंध में नियम बनाए जाएंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, १९५८ (क्रमांक २५ सन् १९५८) से उद्धरण.

धारा-२ इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो,-

(१) "प्रशिक्षु" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे किसी प्रतिष्ठान में किसी व्यापार, शिल्प, व्यवसाय या रोजगार में प्रशिक्षित होने के उद्देश्य से, चाहे उसे मजदूरी दी जाए या नहीं, नियोजित किया जाता है;

* * * *

(१९) "कार्य की अवधि" से तात्पर्य उस समय से है, जिसके दौरान कोई कर्मचारी नियोक्ता के अधीन रहता है;

(२०) "प्रतिष्ठान रजिस्टर" का अर्थ इस अधिनियम के अंतर्गत प्रतिष्ठानों के पंजीकरण के लिए रखा गया रजिस्टर है;

(२१) "पंजीकरण प्रमाण-पत्र" का अर्थ है, किसी प्रतिष्ठान का पंजीकरण दर्शाने वाला प्रमाण-पत्र;

* * * *

धारा-६ (१) प्रत्येक प्रतिष्ठान जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, इस धारा के प्रावधान के अनुसार पंजीकृत किया जाएगा.

(२) किसी प्रतिष्ठान पर यह अधिनियम लागू होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, उसका नियोक्ता संबंधित क्षेत्र के निरीक्षक को निर्धारित प्रपत्र में, निर्धारित शुल्क के साथ एक विवरण भेजेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(ए) नियोक्ता, प्रबंधक और प्रबंधन के पद धारण करने वाले व्यक्ति का नाम, यदि कोई हो;

(बी) स्थापना का डाक पता और व्यवसाय शुरू करने की तारीख;

(सी) प्रतिष्ठान का नाम, यदि कोई हो;

(डी) प्रतिष्ठान की श्रेणी, अर्थात् क्या यह दुकान, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, आवासीय होटल, रेस्तरां, भोजनालय, थिएटर या सार्वजनिक मनोरंजन या मनोरंजन का अन्य स्थान है; और

(ई) ऐसे अन्य विवरण, जो निर्धारित किए जा सकते हैं.

(३) विवरण और शुल्क प्राप्त होने पर, निरीक्षक, विवरण की सत्यता के बारे में संतुष्ट होने पर, प्रतिष्ठान को प्रतिष्ठान रजिस्टर में निर्धारित तरीके से पंजीकृत करेगा और नियोक्ता को निर्धारित प्रारुप में पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा. पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रतिष्ठान में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा.

(४) यदि किसी प्रतिष्ठान को किस श्रेणी में रखा जाना चाहिए, इस बारे में नियोजक और निरीक्षक के बीच कोई संदेह या मतभेद हो तो निरीक्षक मामले को श्रम आयुक्त को भेजेगा जो ऐसी जांच के बाद, जैसा वह उचित समझे, ऐसे प्रतिष्ठान की श्रेणी तय करेगा और उसका निर्णय इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अंतिम होगा.

(५) सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस धारा के अधीन जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्रों का नवीकरण ऐसे अंतरालों पर, जो पांच वर्ष से कम न हों, तथा ऐसी फीस के भुगतान पर, जो विहित की जाए, अपेक्षित कर सकेगी.

(६) पंजीकरण शुल्क और नवीकरण शुल्क प्रति प्रतिष्ठान दो सौ पचास रुपये से अधिक नहीं होगा.

* * * *

धारा-७ नियोक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह धारा ६ के अधीन अपने विवरण में निहित किसी भी जानकारी के संबंध में किसी भी परिवर्तन की सूचना, परिवर्तन होने के सात दिन के भीतर, निर्धारित प्रपत्र में निरीक्षक को दे. निरीक्षक ऐसी सूचना प्राप्त होने पर और उसकी सत्यता के बारे में संतुष्ट होने पर, ऐसी सूचना के अनुसार प्रतिष्ठानों के रजिस्टर में परिवर्तन करेगा और यदि आवश्यक हो, तो पंजीकरण प्रमाण-पत्र में संशोधन करेगा या नया पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा.

धारा-८ नियोक्ता, प्रतिष्ठान बंद करने के दस दिन के भीतर, निरीक्षक को तद्नुसार लिखित रूप में सूचित करेगा. निरीक्षक, सूचना प्राप्त होने और उसकी सत्यता से संतुष्ट होने पर, ऐसे प्रतिष्ठान को प्रतिष्ठान रजिस्टर से हटा देगा और पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द कर देगा.

धारा-४१ (१) इस संबंध में सरकार द्वारा बनाए गए किसी नियम के अधीन रहते हुए, निरीक्षक उस स्थानीय सीमा के भीतर, जिसके लिए वह नियुक्त किया गया है, निम्नलिखित कार्य कर सकेगा:-

(क) सभी युक्तिसंगत समयों पर और ऐसे सहायकों के साथ, यदि कोई हो, जो सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण की सेवा में कार्यरत व्यक्ति हो, जिसे वह ठीक समझे, किसी ऐसे स्थान में प्रवेश करेगा जो प्रतिष्ठान है या जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह प्रतिष्ठान है;

*　　　*　　　*　　　*

(३) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट "किसी बात के होते हुए भी, कोई भी निरीक्षक, श्रम आयुक्त या उसके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किसी अधिकारी की अनुज्ञा के सिवाय किसी ऐसी स्थापना में अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा जहां कि दस से कम कर्मचारी नियोजित हैं.''.

*　　　*　　　*　　　*

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.